

उच्च अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
दाकरदावा वनाम शीपती एग्यु (चौक)

क्रमांक मुक्रमांक १५१-५२१ १११-१२० नं० ३४ सन २०२२

| क्रमांक | हुणम या कार्यवाही मध्य इतिहास जका | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस मंजरी हुण |
|---------|---|-------------------------------------|
| ५२० | बाद / प्रतिनापन बाद जॉय प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधेयिका को समन नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक ०६.०२.२० को भेजा है। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल | |
| १६६२० | उपरोक्त विधेयिका शिवाजी व शिवाजी वनाम की कार्यवाही उपखण्ड वर है / पुरस्कार है व इस दिनांक दिनांक १६.०२.२० को भेजा है। उपखण्ड अधिकारी माण्डल | |
| २७७२० | उपरोक्त विधेयिका शिवाजी वनाम की कार्यवाही उपखण्ड वर है / पुरस्कार है व इस दिनांक दिनांक २७.०२.२० को भेजा है। उपखण्ड अधिकारी माण्डल | |
| २७७७२० | उपरोक्त विधेयिका शिवाजी वनाम की कार्यवाही उपखण्ड वर है / पुरस्कार है व इस दिनांक दिनांक २७.०२.२० को भेजा है। उपखण्ड अधिकारी माण्डल | |
| ७१८२० | उपरोक्त विधेयिका शिवाजी वनाम की कार्यवाही उपखण्ड वर है / पुरस्कार है व इस दिनांक दिनांक ७१.०२.२० को भेजा है। उपखण्ड अधिकारी माण्डल | |



राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

अधीनस्थ अधिकारी-महोपाल सिंह, आर.ए.एस.

सूचना संख्या - 508/07-53

श्री. शंकरदास जी. श्री. मोजादास बैरागी निवासी. कोचरिया तहसील - माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री. अम्बुचंद जी. शंकरदास बैरागी निवासी. कोचरिया तहसील - माण्डल [कोचरा] [सूचनांकित प्रार्थना की कोचरा की सीमा में है]

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 07.08.20

::आदेश::

प्रार्थी को अंतर् से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोचरिया पटवार इल्का मोजा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 508 कुल कित्ता 01 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा स्थित है। यादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा विन्दु नहीं होने से आदे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.5.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि यादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। जैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हस्त-क्षेप होने का आदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कोचरिया पटवार इल्का मोजा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 508 कुल कित्ता 01 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुरखता जानकरी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मोजा 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करदे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिवेदि- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर मालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा